न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)
वादपत्र संख्या 53/2020
अनुवान भंवरलाल आदि बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट
निर्णय दिनांक 22.02.2021

भंवरलाल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फोगाबास भरथरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

श्रवणकुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फोगाबास भरथरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादीगण–

<u>बनाम्</u>

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः
1. एडवोकेट श्री कालीचरण शर्मा, श्री राजकुमार गहनोलिया वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

<u>निर्णय</u>

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 93 तादादी 11.3600 हैक्टेयर रोही राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर में स्थित है। वादगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीगण की सकूनत राणासर पंवारान दर्ज है जो अशुद्ध है। जबकि वादीगण की सकूनत फोगाबास भरथरी है।

वादगत कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। वादगत कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों की सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि के कारण वादीगण का निवास स्थान राणासर पंवारान दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण की सकूनत राणासर पंवारान अशुद्ध चली आ रही है। जबकि वादीगण का निवास स्थान गांव फोगा बास भरथरी है। वादगत कृषि भूमि में वादीगण की सकूनत अशुद्ध दर्ज है। वादगत भूमि के वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार होने से सहबन से अशुद्ध दर्ज प्रविष्टी को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के अन्य दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में वादीगण की सकूनत फोगा बा[illegible] अंकित है। इसके अतिरिक्त वादीगण के नाम की कृषि भूमि ख0 नं0 119 तादादी 9.0300 हैक्टेयर [illegible] सुघड़वास एवं ख0 नं0 179 तादादी 2.7800 हैक्टेयर, ख0 नं0 216 तादादी [illegible] तादादी 5.0400 हैक्टेयर रोही फोगां बास भरथरी में भी वादीगण की सकूनत [illegible] अंकित है जो सत्य एवं स[illegible] वादीगण की सकूनत राणासर पंवारान हस्तगत अभिलेख के अतिरि[illegible] कहीं भी अंकित नहीं [illegible]लिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:17 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का निवास स्थान फोगां बास भरथरी है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण का निवास स्थान राणासर पंवारान अंकित होने के कारण वादी को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादीगण को करना पड़ता है। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध दर्ज सकूनत राणासर पंवारान के स्थान पर सही सकूनत फोगांबास भरथरी दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया है।

वादीगण ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादीगण के.सी.सी. बनवाने के लिए पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गये तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादीगण को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई। राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादीगण तहसीलदार सरदारशहर से मिले और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादीगण की सकूनत संशोधित करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से है।

वादीगण ने वाद पेश कर स्वयं की कृषि भूमि ख0 नं0 93 तादादी 11.3600 हैक्टेयर रोही राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की सकूनत राणासर पंवारान अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही सकूनत फोगांबास भरथरी दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वादगत भूमि सर्वप्रथम सम्वत 2011 में वादीगण के पिता सत्यनारायण पुत्र रूघाराम के नाम दर्ज हुई जिसमें निवास स्थान राणासर पंवारान लिखा गया। उस समय वादी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त सकूनत को चुनौती नहीं दी। राज पैरोकार ने यह भी जाहिर किया कि हो सकता हैं कि यह परिवार कालान्तर में राणासर पंवारान से फोंगा आकर बस गया हैं।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा नम्बर 93 की छायाप्रति।
2. खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की प्रतिलिपि।
3. जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 खसरा नम्बर 119 की छायाप्रति।
4. खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की प्रतिलिपि।
5. जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खसरा नम्बर 179, 216 की छायाप्रति।
6. खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की प्रतिलिपि।
7. कार्यालय ग्राम पंचायत फोगाँ भरथरी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
8. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति (भंवर लाल शर्मा)।
9. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति (श्रवण कुमार शर्मा)।
10. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति (भंवर लाल)।
11. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति (श्रवण कुमार)।
12. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति (भंवर लाल शर्मा)।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय[illegible] द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादीगण की सही सकूनत नाम फोगांबास भरथरी अंकित है। वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजात के प्रदर्श संख्या 7,8,9 जो निवास के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं, से प्रमाणित होता हैं कि वादीगण मूल निवासी फोगॉ भरथरी के ही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 93 तादादी 11.3600 हैक्टेयर रोही

राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की सकूनत राणासर पंवारान अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीगण का सही सकूनत फोगांबास भरथरी दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	राणासर पंवारान	93	सकूनत राणासर पंवारान	सकूनत फोगांबास भरथरी

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 53/2020
अनुवान भंवरलाल आदि बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट व श्री राजकुमार गहनोलिया एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 93 तादादी 11.3600 हैक्टेयर रोही राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की सकूनत राणासर पंवारान अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीगण का सही सकूनत फोगांबास भरथरी दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज.....................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत....................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:17 IST
Reason: SelfAttested